समाचार

पेंशन हितग्राही एप्प के माध्यम से वेरीफिकेशन कार्य कर सकते हैं

कोरबा 14 जुलाई 2025 – भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के हितग्राहियों के वार्षिक सत्यापन हेतु सत्यपान ऐप (Beneficiary Satyapan App) एक ऐसा एप्लिकेशन है जिसका उपयोग भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के द्वारा ई–केवाईसी (eKYC) सत्यापन के लिए किया जाना है। यह ऐप, आधार–सक्षम प्रमाणीकरण (Aadhaar&enabled authentication) का उपयोग करके, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन को सरल बनाने के लिए किया गया है। वे एंड्रायंड मोबाईल फोन के प्ले स्टोर में जाकर एप्प (Beneficiary Satyapan App) उपलब्ध है, जिसको आप अपने मोबाईल फोन पर इंस्टाल कर सकते हैं। विभिन्न पेंशन हितग्राहियों का बैंक में आधार लिंक नहीं होने व बैंक खाता बंद होने के कारण उनकी पेंशन वापस हो रही है, हितग्राहियों को समय पर पेंशन प्राप्त हों, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु आयुक्त ने जोन कमिश्नरों व जोन के उप प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें बताएं कि वे सत्यपान ऐप (Beneficiary Satyapan App) के माध्यम से हितग्राही जोन कार्यालय पेंशन शाखा में उपस्थित होकर सत्यापन करा लेवें। अधिक जानकारी के लिए हितग्राही स्वयं नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित समाज कल्याण विभाग की पेंशन शाखा में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित कराएं ताकि मोबाईल एप्प (Beneficiary Satyapan App) के माध्यम से आनलाईन वेरीफिकेशन का कार्य शतप्रतिशत रूप से पूर्ण किया जा सके।